

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशोंक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/—/2023 दि0 लखनऊ: 18 अगस्त, 2023

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के आदेशोंक 915/2023 दिनांक 13-07-2023 के द्वारा सहारनपुर में युगलपीठ का गठन दिनांक 21-08-2023 से 24-08-2023 तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, मेरठ को नामित किया गया था।

अपरिहार्य परिस्थितियोंवश सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत उक्त आदेश सं0 915/2023 दिनांक 13-07-2023 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए सहारनपुर में दिनांक 21-08-2023 से 24-08-2023 तक गठित युगलपीठ निरस्त की जाती है।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-18-08-2023,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,


उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0संशो0/1155/2023 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ-2, मेरठ
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, सहारनपुर पीठ सहारनपुर।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रामत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी /नाजिर, मुख्यालय।
- 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।